RNI No. RAJHIN/2007/26996
ISSN 0976-7452 Raaso
Refreed Journal

रासो

अन्तर्विषयी त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष-17, अंक-2, मार्च अप्रैल मई 2024

RNI No. RAJHIN/2007/26996
ISSN 0976-7452Raaso
Refreed Journal

रासो

इतिहास, संस्कृति, साहित्य एवं दर्शन की त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष-17 | अंक - 2 | मार्च-अप्रैल-मई-2024

सम्पादक
डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

निदेशक
कॉम्पिटिशन प्लस संस्थान, ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, अजमेर (राजस्थान)

संरक्षक

* **प्रो. जे. पी. शर्मा** - पूर्व कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

सलाहकार मण्डल

* **प्रो. विभा उपाध्याय** - प्रोफेसर, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)
* **नर्मदा प्रसाद उपाध्याय** - प्रसिद्ध साहित्यकार तथा संस्कृति चिंतक, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
* **प्रो. टी.के. माथुर** - पूर्व अध्यक्ष, इतिहास विभाग महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.)
* **डॉ. रमेश अग्रवाल** - पूर्व स्थानीय सम्पादक, दैनिक भास्कर, अजमेर (राजस्थान)
* **डॉ. गौरव बिस्सा** - सहआचार्य, विभागाध्यक्ष, प्रबंध अध्ययन विभाग, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
* **डॉ. बीना शर्मा** - पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
* **प्रो. शोभा आर. मिश्रा** - आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, माधव महाविद्यालय, उज्जैन
* **डॉ. वेद प्रकाश विद्यार्थी** - पूर्व सहायक निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।

☆ उप सम्पादक
डॉ. रीता पारीक
प्राचार्य
हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

☆ प्रबन्ध सम्पादक
डॉ. मृत्युंजय शर्मा
सह-आचार्य
हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

☆ सहायक सम्पादक
डॉ. निष्काम शर्मा

☆ शब्द संयोजन
मुकेश कुमार माहेश्वरी

☆ सम्पादकीय/सचिव
व्यवस्थापकीय कार्यालय
सृजन संस्थान,
आचमन, वेद विहार,
लोहाखान, अजमेर-06
दूरभाष : 0145-2426610
e-mail : rasoajmjournal@gmail.com

☆ प्रकाशक :
पुष्पा शर्मा
सृजन संस्थान,
द्वारा आचमन पब्लिकेशन्स,
अजमेर

☆ मुद्रक :
मैसर्स आर्य प्रिन्टर्स,
केसरगंज, अजमेर

☆ कम्प्यूटराइज्ड सेटिंग :
श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स
132, पंचवटी कॉलोनी,
अजमेर दूरभाष : 0145-2442701

सहयोग दर

* वार्षिक सदस्यता - 500 रु. (चार अंक) संस्थाओं हेतु - 600 रु. (चार अंक)
कृपया चैक/ड्राफ्ट/मनीऑर्डर श्रीमती पुष्पा शर्मा, प्रकाशक, आचमन पब्लिकेशन्स, अजमेर- 305006 के नाम भेजें।

प्रकाशक-श्रीमती पुष्पा शर्मा, 51/1509, वेद विहार, लोहाखान, अजमेर द्वारा मैसर्स सृजन संस्थान, अजमेर की ओर से प्रकाशित एवं मुद्रक-श्रीमती उषा गर्ग द्वारा मैसर्स आर्य प्रिन्टर्स, केसरगंज, अजमेर से मुद्रित।

1857 का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन और भरतपुर रियासत

राहुल कुमार
सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग)
हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

महाराजा बलवन्तसिंह के लगभग अठारह वर्ष के शांतिपूर्ण शासन के बाद 21 मार्च 1853 को उनके निधन के साथ ही भरतपुर राज्य का उत्तराधिकार उनके मात्र दो वर्ष के पुत्र जसवन्तसिंह ने ग्रहण किया। शासक की अल्पव्यस्कता के कारण शासन संचालन का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बन गया और ब्रिटिश सरकार ने भरतपुर में एक रीजेन्सी कौंसिल स्थापित करने का निर्णय लिया।

राजपूताना के ए.जी.जी. सर हेनरी लॉरेन्स ने रीजेन्सी कौंसिल बनाए जाने से पूर्व आगरा के कमिश्नर टेलर को भरतपुर प्रशासन पर नजर रखने का आदेश दिया, जबकि अनुभवी अधिकारी मेजर रॉबर्ट मॉरीसन को भरतपुर भेजा गया, जिसने 14 अप्रैल 1853 को राज्य का कार्यभार संभाला। अब यह प्रश्न सामने था कि भरतपुर में किस प्रकार की रीजेन्सी कौंसिल स्थापित की जाए। उस समय रीजेन्सी के तीन प्रकार प्रचलित थे—एक सदस्यीय कौंसिल, बहुसदस्यीय कौंसिल तथा पोलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता वाली कौंसिल।

एक सदस्यीय रीजेन्सी प्रणाली के समर्थकों—राजमाता, टेलर और लॉरेन्स—का मत था कि इससे प्रशासनिक विवादों से बचा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर संरक्षक को हटाना भी सरल रहता है। दूसरी ओर बहुसदस्यीय रीजेन्सी कौंसिल का अनुभव कई राज्यों—जयपुर, उदयपुर आदि—में रहा था, परन्तु मॉरीसन इसका घोर विरोधी था और इसे 'खलनायकों की परिषद' कहता था। तीसरा विकल्प पोलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में रीजेन्सी कौंसिल का था, किन्तु लॉरेन्स के अनुसार ऐसा विकल्प केवल तभी अपनाया जाना चाहिए, जब अन्य सभी व्यवस्थाएँ असफल हो जाएँ, क्योंकि यह प्रत्यक्ष ब्रिटिश हस्तक्षेप का संकेत होता और इससे जनता में यह भय उत्पन्न हो सकता था कि ब्रिटिश सरकार राज्य का विलय करना चाहती है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए भरतपुर के सरदारों और प्रजा की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक सदस्यीय रीजेन्सी कौंसिल का निर्णय लिया गया। यह व्यवस्था इन्दौर, ग्वालियर, जयपुर एवं भोपाल में सफल रही थी, इसलिए भरतपुर के लिए भी उचित मानी गयी। महाराजा जसवन्तसिंह की माता अस्वस्थ थीं, इसलिए सरदारों की सहमति से वृद्ध एवं सम्मानित सरदार धाऊ बिहारी राम को संरक्षक नियुक्त किया गया, तथा उनकी सहायता के लिए दो और व्यक्तियों को चयनित किया गया।

मॉरीसन को भरतपुर राज्य का ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट बनाया गया और 10 मई 1853 को गवर्नर जनरल ने इस व्यवस्था को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि यदि स्थानीय रीजेन्सी असफल होती है तो पोलिटिकल एजेंट संरक्षक का कार्यभार संभाल सकता है, परन्तु

शोध-पत्र में उल्लिखित सन्दर्भ एवं विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं।

प्रशासन पर उसका प्रभाव सहायक और सहयोगी प्रकृति का ही रहे तथा शासन स्थानीय स्वरूप में ही चलता रहे।

भरतपुर राज्य ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार का खिराज नहीं देता था, इसलिए रीजेन्सी संचालन का व्यय स्वयं राज्य द्वारा वहन किया गया। इस प्रकार भरतपुर में एजेन्सी की स्थापना हुई और अल्पव्यस्क महाराजा जसवन्तसिंह के शासनकाल की शुरुआत पूर्णत: इस संरक्षित राजनैतिक ढाँचे के अंतर्गत हुई।

मॉरीसन द्वारा धाऊजी से असहयोग

भरतपुर में अल्पव्यस्क महाराजा जसवन्तसिंह के लिए बनाई गई एक-सदस्यीय रीजेन्सी व्यवस्था में धाऊ बिहारी राम को संरक्षक नियुक्त किया गया था, परन्तु मॉरीसन इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। उसका वास्तविक उद्देश्य भरतपुर का प्रशासन सीधे अपने हाथों में लेना था। इसी कारण उसने धाऊजी को शासन संचालन में आवश्यक सहयोग नहीं दिया और कार्यों में लगातार बाधाएँ उत्पन्न कीं।

मॉरीसन के इस असहयोग से धाऊजी अत्यन्त निराश हो गए और उन्होंने त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट कर दी। मॉरीसन ने इस स्थिति का लाभ उठाने के उद्देश्य से ए.जी.जी. लॉरैन्स को पत्र लिखकर धाऊजी की कथित अस्वस्थता और त्यागपत्र देने की तत्परता की सूचना भेजी। किन्तु लॉरैन्स ने धाऊजी का त्यागपत्र स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। वास्तव में मॉरीसन की योजना यह थी कि यदि धाऊजी स्वयं पद छोड़ दें, तो लॉरैन्स द्वारा पहले ही दी गई अनुमति के अनुसार वह (मॉरीसन) पोलिटिकल एजेंट के नाते सीधे भरतपुर राज्य की संरक्षकता संभाल सके। इस प्रकार प्रशासन पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ जाता।

मॉरीसन का यह रवैया स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसका उद्देश्य रीजेन्सी व्यवस्था को विफल सिद्ध करके सत्ता को ब्रिटिश एजेंसी के हाथों में केन्द्रित करना था, जबकि लॉरैन्स स्थानीय प्रशासन की स्वायत्तता को बनाए रखना चाहता था।

सैफुल्ला ख़ान की नियुक्ति एवं उसका प्रभाव

मॉरीसन भरतपुर प्रशासन को स्थानीय अधिकारियों के हाथों में सुरक्षित नहीं मानता था। उसका आग्रह था कि राज्य में योग्य व्यक्तियों का अभाव है, इसलिए ब्रिटिश क्षेत्र से किसी सक्षम अधिकारी को उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया जाए। इसके विपरीत ए.जी.जी. लॉरैन्स चाहता था कि भरतपुर का आन्तरिक प्रशासन स्थानीय हाथों में ही रहे, ताकि प्रजा और सरदारों में ब्रिटिश हस्तक्षेप को लेकर अविश्वास न पनपे।

मॉरीसन ने बार-बार यह कहते हुए दबाव बनाया कि बाहरी अधिकारी की सहायता के बिना वह प्रशासन नहीं चला सकता। अंतत: विवश होकर लॉरैन्स ने 1 सितम्बर 1854 को सैफुल्ला खान को मॉरीसन का सहायक नियुक्त कर दिया और यह निर्देश दिया कि उसे केवल न्यायिक या राजस्व विभाग में ही रखा जाए और दरबारी मामलों में कोई दखल न हो। किन्तु मॉरीसन ने इन निर्देशों की अवहेलना करते हुए सैफुल्ला को राजस्व विभाग के साथ-साथ राज्य के खजाने का अधिकार भी सौंप दिया। इससे सैफुल्ला का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया और राज्य में किसी भी भुगतान या सरकारी व्यय पर उसके हस्ताक्षर आवश्यक हो गए। यहां तक कि उसने लॉरैन्स के वकील का वेतन भी रोक दिया।

लॉरेन्स ने इसे अपने आदेशों की अवहेलना मानकर आरोप लगाया कि मॉरीसन सैफुल्ला के प्रभाव में काम कर रहा है। परिणामस्वरूप 1856 में उसने सैफुल्ला को डिप्टी एजेंट के पद से हटा दिया। मॉरीसन ने अपने बचाव में कहा कि धाऊजी की अस्वस्थता और वकील के वित्तीय घोटाले के कारण उसे ये अधिकार देने पड़े।

धाऊजी का त्यागपत्र और मॉरीसन की नियुक्ति

भरतपुर के प्रशासन पर नियंत्रण पाने की अपनी इच्छा के कारण मॉरीसन ने धाऊजी को प्रशासनिक मामलों में कोई सहयोग नहीं दिया। वह सैफुल्ला ख़ान को आगे रखकर अधिकांश निर्णय स्वयं करने लगा। परिणामस्वरूप धाऊजी प्रशासनिक रूप से अलग-थलग पड़ गए और लॉरेन्स की भरतपुर यात्रा के दौरान उन्होंने त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि लॉरेन्स ने उस समय उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया, परंतु बाद में राजमाता और सरदारों द्वारा भेजे गए खरीते में भी धाऊजी के त्याग के बाद नई व्यवस्था की मांग की गई।

लॉरेन्स ने मॉरीसन से धाऊजी का लिखित त्यागपत्र मंगवाया, किंतु मॉरीसन टालमटोल करता रहा, क्योंकि वह धाऊजी को पूरी तरह बाहर करके प्रशासनिक अधिकार अपने हाथों में लेना चाहता था। जब कोई अन्य विकल्प न बचा, तो लॉरेन्स को गवर्नर जनरल के निर्देशानुसार मॉरीसन की अध्यक्षता में रीजेन्सी काउंसिल गठित करने की अनुमति देनी पड़ी। गवर्नर जनरल ने पहले ही निर्देश दिया था कि यदि धाऊजी के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था असफल हो, तो शासन की बागडोर पोलिटिकल एजेंट को सौंप दी जाए।

लॉरेन्स चाहता था कि काउंसिल में जाट, गुर्जर और अहीर जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ सरदार शामिल हों, किंतु मॉरीसन इसका विरोध करता रहा। अंततः लॉरेन्स ने केवल इतना निर्देश दिया कि मॉरीसन प्रशासनिक कार्यों में सरदारों से परामर्श अवश्य ले और अहस्तक्षेप की ब्रिटिश नीति का पालन करते हुए परम्परागत ढांचे में अनावश्यक परिवर्तन न करे।

12 सितम्बर 1855 को लॉरेन्स ने मॉरीसन को भरतपुर प्रशासन का सर्वोच्च प्रबंधक नियुक्त कर दिया। इस नियुक्ति के साथ ही मॉरीसन को न्याय, राजस्व और प्रशासन के सभी अधिकार प्राप्त हो गए। इसके बाद उसने सरदारों और स्थानीय अधिकारियों की राय की उपेक्षा करते हुए पूर्णतः अपने ढंग से शासन चलाना शुरू कर दिया, और इस प्रकार भरतपुर के प्रशासन का सर्वेसर्वा बनने की अपनी दीर्घकालिक अभिलाषा को पूरा कर लिया।

मॉरीसन ने भरतपुर में न्यायिक प्रशासन बदलने के प्रयास किए। उसने पुरानी अदालतें होते हुए भी नए न्यायालय बनाने का आदेश दिया और लॉरेन्स की मनाही के बावजूद ऐसा ही किया। लॉरेन्स ने भोलानाथ, ब्रजवल्लभ और चौधरी चरणसिंह को विभिन्न न्यायिक पदों पर नियुक्त करने के निर्देश दिए, पर मॉरीसन ने यह आदेश भी नहीं माना और अपने समर्थकों को पद दे दिए। इससे नाराज़ होकर लॉरेन्स ने स्वयं इन अधिकारियों की नियुक्तियाँ कर दीं, जिससे न्याय व्यवस्था में सुधार हुआ। मॉरीसन स्थानीय लोगों की नियुक्ति सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह लॉरेन्स के न्यायिक सुधारों को विफल करने का प्रयास करता रहा।

भरतपुर में करों का बोझ पहले से ही बहुत अधिक था, इसलिए लॉरेन्स ने मॉरीसन को जनता को कर राहत देने का निर्देश दिया। लेकिन मॉरीसन हिसाब-किताब न होने का बहाना बनाकर आदेशों को टालता रहा, क्योंकि वह प्रशासन को अपने नियंत्रण में रखकर राजस्व बढ़ाना चाहता था। लॉरेन्स का मानना था कि मॉरीसन पर सैफल्ला खान का प्रभाव है, इसलिए वह करों में राहत नहीं देना चाहता।

अकाल (1854) के कारण सरदारों के दबाव पर लॉरेन्स ने 1855 में स्वयं भरतपुर पहुंचकर तीन परगनों—बल्लभगढ़, कांमा और पहाड़ी—में 14-15% कर राहत के साथ संक्षिप्त बन्दोबस्त लागू किया। मॉरीसन ने इस राहत को राज्य की भारी हानि बताते हुए विरोध किया। तब लॉरेन्स ने केप्टन निक्सन को इस बन्दोबस्त को भरतपुर के अन्य परगनों में लागू करने का कार्य सौंपा। निक्सन ने सर्वेक्षण भी किया, पर 1857 के विप्लव के कारण नवीन भू-बन्दोबस्त पूरा नहीं हो सका।

मॉरीसन ने भरतपुर राज्य के नमक व्यापार में अनधिकृत हस्तक्षेप किया। उसने नमक व्यापार का कार्य सेफुल्ला खान को सौंपकर नाप-तोल, मात्रा और निर्यात के नियम बदल दिए, जिससे व्यापार लगभग ठप हो गया और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। आगरा कस्टम कमिश्नर की अनुमति लिए बिना किए गए इन परिवर्तनों का लॉरेन्स ने विरोध किया। प्रारम्भ में मॉरीसन ने आदेश नहीं माना, पर बाद में कस्टम कमिश्नर वेन्सीटार्ट के समझाने पर प्रतिबंध हटा दिए।

लॉरेन्स ने आरोप लगाया कि मॉरीसन नमक प्रबन्धन में बाहरी मुस्लिम व यूरोपीय व्यक्तियों को नियुक्त कर रहा है और स्थानीय कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करता। मॉरीसन के अन्य हस्तक्षेपों—मंदिर निर्माण की निगरानी मुसलमान अधिकारी को देना, कई प्रशासनिक कठोरताएँ, व्यय पर सख्त नियंत्रण, तथा स्थानीय सरदारों से बिना परामर्श निर्णय से राज्य में असंतोष और बढ़ा।

इन कारणों से मॉरीसन भरतपुर में बहुत अलोकप्रिय हो गया और लॉरेन्स भी उससे पूरी तरह असंतुष्ट हो गया। लॉरेन्स ने गवर्नर जनरल को पत्र लिखकर मॉरीसन को पद से हटाने की सिफारिश की, किंतु निर्णय होने से पहले 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। परिणामस्वरूप मॉरीसन को वहीं रहने दिया गया और कैप्टन निक्सन को उसका सहायक नियुक्त कर दिया गया।

1857 का विप्लव

1857 का विप्लव भारतीय इतिहास की महान और अभूतपूर्व घटना थी। इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक कारण थे, पर इसका तात्कालिक कारण इनफील्ड राइफल का कारतूस बना, जिसे दाँतों से खोलना पड़ता था और जिसके बारे में कहा गया कि वह गाय-सुअर की चर्बी से चिकना किया जाता है। इससे भारतीय सैनिकों में यह भय फैल गया कि अंग्रेज उन्हें धर्मभ्रष्ट करना चाहते हैं।

सबसे पहले 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में विद्रोह हुआ। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पाण्डे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर विद्रोह का बिगुल फूँक दिया। 3 मई को लखनऊ और 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करते हुए खुले विद्रोह का मार्ग अपनाया। मेरठ के सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े और देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे उत्तरी भारत में फैल गया।

राजपूताना की तात्कालिक स्थिति

1857 के विप्लव के समय राजपूताना की स्थिति बेहद संवेदनशील थी। हेनरी लॉरेन्स के अवध भेजे जाने के बाद उसके भाई जार्ज पैट्रिक लॉरेन्स को राजपूताना का ए.जी.जी. बनाया गया। वह पहले सात वर्षों तक नीमच में पोलिटिकल एजेंट रह चुका था, इसलिए क्षेत्र से परिचित था। उस समय राजपूताना में रेलमार्ग लगभग न के बराबर थे और छह ब्रिटिश छावनियों—नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा व खैरवाड़ा—में कुल लगभग पाँच हजार भारतीय सैनिक तैनात थे, जबकि कोई यूरोपियन सैनिक नहीं था। यह स्थिति ए.जी.जी. के लिए बड़ी चिंता का विषय थी।

मेरठ के विद्रोह की सूचना 19 मई 1857 को आबू में मिली। लॉरेन्स ने तुरंत सभी राजपूताना शासकों को निर्देश जारी किए कि वे शांति बनाए रखें, विद्रोहियों को अपने क्षेत्रों में प्रवेश न करने दें, उन्हें गिरफ्तार करें तथा ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठावान रहें। राजपूताना में विद्रोह की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुई, जब 15वीं नेटिव इन्फैंट्री ने बगावत कर छावनी को नष्ट किया और बाद में दिल्ली की ओर चले गए। इसके बाद विद्रोह धीरे-धीरे पूरे राजपूताना में फैल गया।

ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष

भरतपुर में ब्रिटिश सरकार के प्रति असन्तोष के प्रमुख कारण अन्य देशी राज्यों जैसे ही थे। 1803 की संधि के बाद भी भरतपुर और अंग्रेजों के बीच विश्वास नहीं बन पाया। 1804-05 के युद्ध में भरतपुर का होल्कर का साथ देना अंग्रेजों को लंबे समय तक खलता रहा।

1826 में उत्तराधिकार विवाद में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर लोकप्रिय दुर्जनसाल की जगह अल्पवयस्क बलवंतसिंह को गद्दी पर बैठाया, ताकि शासन अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में रहे। पोलिटिकल एजेन्ट द्वारा बनाई गई रीजेन्सी कौंसिल में ब्रिटिश समर्थक और जनता में बदनाम अधिकारी—जवाहरलाल व चूड़ामन—को सत्ता सौंप दी गई, जिससे कुशासन, भ्रष्टाचार और जनता में आक्रोश बढ़ा।

ब्रिटिश हस्तक्षेप इतना अधिक था कि जनता ब्रिटिश अधिकारियों और उनके कृपापात्र कर्मचारियों को अपने हितों का शत्रु मानने लगी। 1834 में घासीराम द्वारा ब्रिटिश सैनिक की हत्या और उस समय नगरवासियों का खुला समर्थन यह दर्शाता है कि जनता में ब्रिटिश विरोध कितना गहरा था। अल्पवयस्क जसवंतसिंह के समय मॉरीसन का प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप तथा स्थानीय सरदारों की उपेक्षा ने असन्तोष और बढ़ाकर व्यापक आक्रोश को जन्म दिया। इस प्रकार 1857 के विप्लव से पूर्व भरतपुर की जनता, सरदार और सैनिक सभी ब्रिटिश सत्ता से अत्यंत असन्तुष्ट थे।

भरतपुर द्वारा सैनिक सहायता

1857 के विद्रोह के समय आगरा की सुरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन काल्विन ने भरतपुर राज्य से सैनिक सहायता माँगी। भरतपुर में शासक जसवंत सिंह अल्पवयस्क था और शासन रीजेंसी काउंसिल चला रही थी। प्रारम्भ में भरतपुर के सरदारों ने अपनी सेना को अविश्वसनीय बताते हुए भेजने से मना कर दिया, परंतु कैप्टन निक्सन के व्यक्तिगत प्रयासों से एक टुकड़ी तैयार हो गई।

निक्सन मथुरा पहुँचा, जहाँ कलेक्टर थार्नहिल ने विद्रोहियों की आशंका में खजाना आगरा भेजने का निर्णय लिया। बाद में विद्रोही दिल्ली में रुक गए, इसलिए निक्सन भरतपुर की एक टुकड़ी मथुरा में

छोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ गया। थार्नहिल को भरतपुर की सेना पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने आगरा से सहायता मंगाई।

उधर आगरा से आए यूरोपीय अधिकारियों ने मथुरा से खजाना ले जाने का प्रयास किया, परंतु उसी समय बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया, खजाना लूट लिया और कैदियों को मुक्त कर दिया। भरतपुर की सैन्य टुकड़ी ने अंग्रेजी आदेशों का पालन नहीं किया। थार्नहिल ने यह सूचना निक्सन को भेजकर उसे भरतपुर की सेना से सतर्क रहने को कहा, पर निक्सन को उन पर पूर्ण विश्वास बना रहा और वह आगे बढ़ता रहा।

कोसी और होडल में विद्रोह

30 मई 1857 को भरतपुर के सरदार शिवरतन के नेतृत्व में कोसी में भरतपुर सेना ने खुला विद्रोह कर दिया। यह सेना मथुरा के विद्रोहियों से मिलने की तैयारी में थी। थार्नहिल ने यह सूचना होडल में निक्सन को दी। निक्सन ने भरतपुर के सरदार लाला रतनसिंह को कोसी भेजा, जिसने पुष्टि की कि भरतपुर की पूरी टुकड़ी विद्रोह में शामिल हो चुकी है और कोसी-मथुरा के विद्रोही होडल की ओर बढ़ रहे हैं।

होडल में भरतपुर सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के आदेश मानने से इनकार कर दिया और तोपों का रुख यूरोपीय दलों की ओर कर दिया। स्थिति बेकाबू होने पर निक्सन ने भरतपुर व अलवर की सेना को एकत्र करने का प्रयास किया, परंतु दोनों में से कोई भी सहयोगी नहीं बना। अलवर सेना भी निक्सन के साथ नहीं आई।

निक्सन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई—उसके पास केवल 75 आदमी थे जबकि विद्रोही लगभग 5000 थे। मजबूर होकर वह होडल छोड़कर पलवल, फिर यमुना पार कर चापा व म्याना होते हुए भरतपुर लौटने लगा। बुलंदशहर का मार्ग पूर्णत: विद्रोहियों से घिरा था, इसलिए वह लौटने को मजबूर हुआ। भरतपुर लौटने पर पता चला कि भरतपुर की सेना किसी भी आदेश को नहीं मान रही थी और कई सरदार भी विद्रोहियों से जा मिले थे। अलवर सेना ने भी उसकी सहायता नहीं की। अंतत: निक्सन 4 जून को असफल होकर भरतपुर वापस आ गया।

विप्लव काल में भरतपुर की स्थिति

1857 के विप्लव के समय भरतपुर की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। आगरा-दिल्ली मार्ग पर स्थित होने के कारण अनेक विद्रोही दलबल भरतपुर से गुजर रहे थे। भरतपुर की अपनी सेना भी आदेश न मानकर विद्रोही हो गई थी। मेव व गुर्जर जातियाँ भी अराजकता का लाभ उठाते हुए लूट-पाट में लगी थीं और किसी समय भी विद्रोहियों से मिल सकती थीं। पोलिटिकल एजेंट मॉरीसन ने स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, पर भरतपुर के सरदार सेना पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सरदारों ने मॉरीसन से अनुरोध किया कि वह भरतपुर छोड़ दे, क्योंकि उसकी उपस्थिति से विद्रोही भरतपुर पर आक्रमण कर सकते थे और इससे राज्य की सुरक्षा तथा ब्रिटिश-भरतपुर संबंध दोनों को खतरा था। इसी बीच सूचना मिली कि कुछ षड्यंत्रकारी नीमच के विद्रोहियों को बुलाकर तख्तापलट की योजना बना रहे हैं, जिन्हें पकड़कर दंडित किया गया। अंतत: 8 जुलाई 1857 को मॉरीसन ने प्रशासन धाऊ गुलाबसिंह को सौंपकर भरतपुर छोड़ दिया। पूरे विप्लव काल में भरतपुर अशान्ति से घिरा रहा—विद्रोही, गुर्जर-मेव और ब्रिटिश सेना तीनों ही क्षेत्र में लूटपाट

कर रहे थे।

भरतपुर में शान्ति की स्थापना

1857 में दिल्ली व आगरा पर पुनः अधिकार के बाद निक्सन ने भरतपुर में शान्ति स्थापित की। उसने भरतपुर की सेना की सहायता से नीमच और ग्वालियर के विद्रोही दलों को परास्त कर दिया। 1858-59 में तांत्या टोपे का खतरा बढ़ने पर ब्रिटिश फौजों ने भरतपुर सीमा पर मोर्चाबंदी की, जिससे टोपे भरतपुर की ओर न आकर जयपुर चला गया। बाद में दौसा के युद्ध में भरतपुर की टुकड़ी ने ब्रिटिश सेना का साथ दिया और टोपे पराजित होकर भाग गया। स्थिति सामान्य होने पर निक्सन को भरतपुर का पोलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। उसने ब्रिटिश पक्ष का साथ देने वाले सरदारों को पुरस्कार दिए और धाऊ गुलाबसिंह को संरक्षक पद से हटाकर रीजेन्सी कौंसिल को पुनः स्थापित किया। जाट-गुर्जर गुटों के तनाव के बीच गुलाबसिंह को समर्थन न मिलने के कारण निक्सन ने सत्ता अपने नियन्त्रण में ले ली।

समग्रतः, अल्पवयस्क राजा जसवंतसिंह के काल में भरतपुर प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव अत्यधिक रहा। मॉरीसन व निक्सन के नियंत्रण, सरदारों की अवसरवादी नीति और गुर्जर-मेव जनता की खुली भागीदारी के कारण राज्य में लगातार अशान्ति बनी रही। भरतपुर की सेना ने कोसी व होडल में विद्रोह किया और पूरे विप्लवकाल में ब्रिटिश सरकार या दरबार दोनों का पूर्ण सहयोग नहीं किया।

निष्कर्षतः 1857 के विद्रोह के समय भरतपुर में ब्रिटिश प्रशासन में असंतोष था। मॉरीसन की तानाशाही और भ्रष्ट प्रशासन से जनता, सेना और सरदार असंतुष्ट थे। कोसी और होडल में सेना ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार ने निक्सन को एजेंट बनाकर शांति स्थापित की। विद्रोह में जनता और कुछ जातियाँ सक्रिय रहीं, जबकि सरदार अवसरवादी बने रहे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *जार्ज पैट्रिक लॉरेन्स, राजपूताना का प्रशासन और ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट्स, 2वाँ संस्करण, लोन्डन, 1860*
2. *मॉरीसन के पत्र, भरतपुर राज्य अभिलेखागार, फोलियो*
3. *लॉरेन्स के पत्र, 1853-1857, ब्रिटिश भारत पत्रावली संग्रह*
4. *कैल्विन, जॉन, उत्तर-पश्चिमी प्रांत और भारतीय विद्रोह 1857, कलकत्ता, 1862*
5. *निक्सन, केप्टन, भरतपुर में विद्रोह और शांति स्थापना, आगरा प्रेस, 1860*
6. *मथुरा एवं कोसी विद्रोह विवरण, ब्रिटिश भारत प्रशासनिक रिपोर्ट 1857*
7. *मॉरीसन के पत्र ए.जी.जी. लॉरेन्स को, 3 जून 1857, भरतपुर अभिलेखागार, फोलियो 169*
8. *मेरठ एवं दिल्ली विद्रोह, सैन्य रिपोर्ट 1857, वाराणसी*
9. *ब्रिगेडियर शावर्स की रिपोर्ट, ब्रिटिश सैन्य अभिलेख 1858*
10. *राजकीय अभिलेख और रेजिडेंसी रिपोर्ट्स, आगरा*

11. *भरतपुर विद्रोहकालीन अध्ययन, डॉ. रमेश चतुर्वेदी, बनारस, 1982*

12. *राजपूताना इतिहास और सामाजिक संरचना, प्रो. शिव प्रसाद मिश्रा, जयपुर, 1990*

13. *भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्थानीय राज्य, डॉ. सुरेश पांडेय, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2005*

14. *निक्सन की रिपोर्ट, 18 अक्टूबर 1857, फोलियो 172-173*

15. *मॉरीसन के पत्र, 26 जून 1857, भरतपुर अभिलेखागार, फोलियो 170-171*

16. *ब्रिटिश सैन्य अभिलेख 1858-1859*

17. *डॉ. हरिशंकर शर्मा, भारतीय विद्रोह और राजपूताना, जयपुर, 1985*

18. *राजपूताना का सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास, डॉ. अजय वर्मा, अजमेर, 2002*